उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1209/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(212)-2021

लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (5) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या -क0नि0-2-848/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(15)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में,-

(एक) खण्ड (एक) में, शब्द "और मोटर साइकिल," के स्थान पर, शब्द "मोटर साईकिल, ओमनिबस किसी अन्य मोटर यान," रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(चार) विनिर्दिष्ट परिसर में स्थित रेस्तरां, इटिंग ज्वाइंटस आदि द्वारा पूर्ति की जाने वाली सेवाओं के अलावा रेस्तरां सेवा की पूर्ति।"

2. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में,-

(एक) मद (ख) में, शब्द, कोष्ठक, संख्या और अंक "और मोटर साईकिल का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 2 के, खंड (22), (25) और (26) क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं "के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक, संख्या और अंक "मोटर साईकिल, मोटरयान और ओमनिबस के वही अर्थ होंगे जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 2 के खंड (22), (25), (27), (28) और (29) में क्रमशः उनके लिये समनुदेशित हैं" रख दिये जायेंगे;

(दो) मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) विनिर्दिष्ट परिसर का तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जो 'ऐसे होटल की व्यवस्था' की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका ठहरने की एक इकाई का घोषित टैरिफ सात हजार पांच सौ रुपए प्रति इकाई प्रतिदिन से अधिक या समकक्ष हो ।"

2. यह अधिसूचना तारीख 01 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव